संख्या–2209 / 79–5–2011–282 / 98

प्रेषक,

अनिल संत,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 11 जुलाई, 2011

विषय :अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–शि0नि0(बे0) / डी0ई0 / 6763 / 2010–11 दिनांक 24 फरवरी, 2011 एवं पत्र संख्या– शि0नि0(बे0) / उ.नि.(प्रा.) / 5668–69 / 2011–12 दिनांक 04–6–2011 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि विशेष अपील संख्या–1032 / 2011 राज्य सरकार बनाम संतोष कुमार मिश्रा एवं अन्य में दिनांक 30–5–2011 को मा0 उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा मा0 एकल न्यायमूर्ति के स्थगन आदेश दिनांक 18–5–2011 को समाप्त कर दिया गया है।

2– इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) **स्नातक अर्हताधारी शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित कराये जाने की योजना**

स्नातक अर्हताधारी शिक्षा मित्रों के वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कराये जाने की व्यवस्था शीघ्रता से पूर्ण कराया जाना है, जिससे अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कम की जा सके । इस प्रशिक्षण के माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित किये जाने के साथ–साथ यह प्रशिक्षण विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा नगर क्षेत्र में नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर कराया जाना है तथा यह प्रशिक्षण अत्याधुनिक दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से कराया जायेगा । दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण 2 वर्षीय होगा तथा इस प्रशिक्षण में बी.टी.सी. कोर्स राज्य सरकार तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा दिनांक 14–1–2011 को अनुमोदित किया, को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों का पालन करते हुये पूर्ण कराया जायेगा, जिसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिगम सामग्री (लर्निंग मैटिरियल) उपलब्ध कराया जा चुका है। इस प्रशिक्षण का अनुश्रवण राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जायेगा । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपद स्तर पर समस्त प्रशिक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा । प्रशिक्षण के दौरान शिक्षा मित्र अपने विद्यालय में उपस्थित होकर शिक्षण कार्य कर सकेंगे तथा बीच–बीच में कांटेक्ट प्रोग्राम के रूप में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर बुलाये जाने पर उपस्थित होंगे तथा निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

प्रशिक्षणार्थियों को सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जायेगा तथा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण होने पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा । सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन एवं परीक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा तैयार की जा रही है। 1 लाख 24 हजार स्नातक अर्हताधारी शिक्षा मित्रों को जून 2015 तक प्रशिक्षण कराया जाना है। इस प्रकार जुलाई 2011 में लगभग 62 हजार तथा जुलाई 2013 में शेष शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित कराया जायेगा जिसके उपरान्त यह कार्यक्रम समाप्त हो जायेगा । इस प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वहन किया जायेगा ।

प्रत्येक विकासखण्ड संसाधन केन्द्र पर एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर 70 स्नातक अर्हताधारी शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण सम्पादित किया जायेगा, जो कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अध्ययन केन्द्रों (स्टडी सेन्टर) का कार्य करेंगे ।

(2) **<u>प्रशिक्षण हेतु स्नातक योग्यताधारी शिक्षा मित्रों का पंजीकरण</u>**

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल अप्रशिक्षित स्नातक अर्हताधारी शिक्षा मित्रों हेतु 2 वर्षीय है तथा दो चरणों में पूर्ण किया जायेगा ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपने जिले से संबंधित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत स्नातक अर्हताधारी शिक्षा मित्रों के चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे जायेगे ।

विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र, जो कि अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे उनमें 70 –70 अभ्यर्थियों के दो वर्षीय बैच दो चरणों में चलाया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु चयनित शिक्षा मित्रों को संविदा की तिथि के अवरोही क्रम के आधार पर उनके ही विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा, लेकिन किन्ही दशाओं में उक्त केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, तो उन्हें दूसरे विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकेगा ।

स्नातक योग्यताधारी शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु चयन निम्नलिखित समिति के अनुमोदन से किया जायेगा :–

(क) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – अध्यक्ष

(ख) प्राचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज – सदस्य

(ग) संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य–सचिव

शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र की नियुक्ति हेतु सर्वप्रथम संविदा की तिथि के आधार पर किया जायेगा । इस प्रकार पहले संविदा पर आये शिक्षा मित्र को स्थान दिया जायेगा तथा तिथि के क्रम में बाद में संविदा करने वाले शिक्षा मित्रों को चयनित किया जायेगा ।

यदि संविदा की तिथि कई शिक्षा मित्रों की एक ही हो तो हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा के प्रतिशत के योग में अधिक अंक पाने वाले शिक्षा मित्र का नाम पहले स्थान पर होगा । यदि प्रथम संविदा की तिथि तथा शिक्षा मित्रों के उक्त परीक्षाओं में प्राप्त प्रतिशत का योग भी समान हों, तो अधिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी एवं यदि अर्हता भी समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

यदि संविदा की तिथि, तथा प्रतिशत का योग तथा आयु भी समान हो तो, ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम के अनुसार वरीयता प्रदान की जायेगी ।

उपर्युक्त चयन में राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी नियमों का पालन करते हुये क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्गों हेतु निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत चयनित किया जायेगा एवं इनकी पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी ।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार चयन किये गये शिक्षा मित्रों की सूची विकासखण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं नगर क्षेत्र में नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर तैयार की जायेगी तथा आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए एक विकासखण्ड संसाधन केन्द्र एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर 70 स्नातक अर्हताधारी शिक्षा मित्रों का चयन किया जायेगा तथा उन्हें दो वर्षीय प्रशिक्षण पर भेजा जायेगा ।

यह प्रशिक्षण सुविधा स्नातक अर्हताधारी उन्हीं शिक्षा मित्रों को उपलब्ध हो सकेगी जो संविदा प्राप्त करने की तिथि के बाद से निरन्तर विद्यालयों में सन्तोषजनक ढंग से शिक्षण कार्य कर रहे हों ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 14 जनवरी 2011 में निर्धारित व्यवस्थानुसार पूरे प्रशिक्षण की अवधि में न्यूनतम 300 सम्पर्क घंटे (कॉनटेक्ट आवर्स) निर्धारित किये जायेंगे जिसमें अकादमिक लगभग 144 घंटे, कार्यशाला 24 दिन तथा विद्यालय आधारित कियाकलाप 15 अध्ययन घंटे (स्टडी आवर्स) कियात्मक प्रशिक्षण 80 अध्ययन घंटे निर्धारित करना अनिवार्य होगा । इस संबंध में आवश्यक कार्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार कराया जायेगा । प्रशिक्षण के दौरान स्टडी सेन्टर द्वारा दिये गये प्रोजेक्ट तथा एसाइनमेंट प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण करना होगा।

प्रस्तावित प्रशिक्षण हेतु 4 सितम्बर, 2001 के पूर्व के शिक्षा मित्रों को चयन में वरीयता नहीं प्रदान की जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रेत्तर अप्रशिक्षित शिक्षकों को किसी भी दशा में भर्ती नहीं किया जायेगा ।

(3) **अध्ययन केन्द्र(स्टडी सेन्टर)**

प्रशिक्षणार्थियों को अधिगम सामग्री (लर्निंग मेटेरियल) समय–समय पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके द्वारा प्रशिक्षुओं को आवश्यक अकादमिक सहायता प्राप्त हो सकेगी । सभी विकासखण्ड संसाधन केन्द्र अध्ययन केन्द्र के रूप में तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक अध्ययन केन्द्र के समन्वयक का कार्य करेंगे । इन अध्ययन केन्द्र के समन्वयक द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में सम्पूर्ण विवरण तथा अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे। साथ ही साथ वे सम्पर्क कार्यक्रमों के संचालित किये जाने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को प्रगति आख्या समय–समय पर प्रेषित करेंगे। समन्वयक को इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु 18,000/– रू. प्रतिवर्ष की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा । इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर रखे जाने वाले 7 विषय विशेषज्ञों द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया जायेगा तथा उनका मूल्यांकन भी इन्हीं विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा । इन विषय विशेषज्ञों को इस प्रशिक्षण कार्य को पूर्ण करने हेतु रू. 12,000/– प्रति वर्ष अतिरिक्त मानदेय देय होगा। यह विषय विशेषज्ञ निश्चित ही बी.टी.सी. अथवा बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी होंगे तथा उन्हें विकास खण्ड/नगर क्षेत्र में उपलब्धता के आधार पर श्रेष्ठता के आधार पर चयनित किया जायेगा । इन विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण के समस्त विषय यथा हिन्दी, सामाजिक विषय, अंग्रेजी, गणित एवं अन्य विषयों

की शिक्षा देने के साथ–साथ विषय से संबंधित समस्याओं का निदानात्मक प्रशिक्षण, पाठ योजना का विकास एवं निर्माण तथा कियात्मक शिक्षण, पाठ योजना पर विचार–विमर्श, दिये गये प्रोजेक्ट कार्य तथा अन्य शैक्षिक कार्यों को पूरा करने, बच्चे के आन्तरिक मूल्यांकन तथा परीक्षा व्यवस्था पर भी प्रशिक्षित कराया जायेगा। 10–10 दिवसीय कॉन्टेक्ट प्रोग्राम की अवधि में विषय विशेषज्ञों की कमी होने पर अतिथि प्रवक्ता के रूप में विश्वविद्यालय / इण्टरमीडिएट / हाईस्कूल के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापकों को निश्चित मानदेय पर तीन बार आमंत्रित किया जा सकता है ।

(4) **प्रशिक्षणार्थियों से निर्धारित शुल्क**

प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन एवं पंजीकरण हेतु रू. 100 / – प्रति प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा शुल्क के रूप में रू. 300 / – प्रति प्रशिक्षार्थी लिया जायेगा । इस धनराशि को बैंक खाते में जमा कर सुरक्षित रखा जायेगा तथा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार उसका उपभोग किया जायेगा ।

शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण की अवधि में मानदेय यथावत् देय होगा, किन्तु ब्लाक शिक्षा संसाधन केन्द्र एवं नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर होने वाले 10–10 दिवसीय प्रशिक्षण (कॉन्टेक्ट प्रोग्राम) में शिक्षा मित्रों को भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

3-- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनिल संत)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) / समस्त डॉयट् प्राचार्य / समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।